बिहार सरकार

उद्योग विभाग

पत्रांकः–................................/
03/उ०नि० (उद्योग मित्र)योजना–03/15 पटना, दिनांकः–...............................

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 अन्तर्गत उद्योग मित्र के हॉल में कार्यरत विभागीय कॉल सेन्टर के व्यवहरार्थ कार्यालय व्यय हेतु कुल अनुमानित व्यय ₹17.00 लाख (सतहर लाख) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक उद्योग मित्र, बिहार, पटना के पत्रांक–340, दिनांक–24.09.2018 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 अन्तर्गत उद्योग मित्र के हॉल में कार्यरत विभागीय कॉल सेन्टर के व्यवहरार्थ कार्यालय व्यय हेतु कुल अनुमानित व्यय **₹17.00 लाख (सतहर लाख) मात्र** की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उद्योग मित्र में सिंगल विण्डों सिस्टम के तहत कॉल सेन्टर स्थापित है। जिसके माध्यम से विभागीय योजनाओं की जानकारी एवं विस्तृत सूचनाएँ उद्यमियों को उपलब्ध करायी जाती है तथा उनकी पृच्छा का निराकरण हेतु विभाग को अवगत कराया जाता है।

3. उक्त राशि का व्यय वहन वित्तीय वर्ष 2018–19 में **मुख्यशीर्ष–2852 उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–80 सामान्य, लघु शीर्ष–102 औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष–0163, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रख–रखाव–बिहार व्यापार विकास कोष, मॉग सं0–23, विपत्र कोड–23-2852801020163 अन्तर्गत विषय शीर्ष–0163.13. 01 कार्यालयी** व्यय में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसके लिए यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध हैं।

4. इस योजना में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें, जो इस स्वीकृत राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से कर उद्योग मित्र के पी0एल0 खाता सं0–277 में उपलब्ध करायेगें। राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक 8244 दिनांक 02.08.10 एवं 500 दिनांक–18.01.11 में निहित अनुदेशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। राशि की निकासी फार्म–BTC-46 पर की जायेगी।

5. योजना के लेखा–जोखा की पूर्ण जिम्मेवारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, राम चरित्र पथ, पटना की होगी।

6. लेखा के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार महालेखाकार, बिहार, पटना को होगा।

7. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगें, जो इस योजना का अनुश्रवण करेगें।

8. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका सं0–*03/उ०नि०(उद्योग मित्र)योजना–03/15* के पृष्ट–**58/टि0** पर दिनांक–**26.12.2018** को प्राप्त है। जिसका सं0 क्र0–3357/**IDC,** दिनांक–27.12.2018 है।

क्रमशः पृष्ट–02 पर...

9. राज्योदेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति **संचिका सं0**–*03/उ0नि0(उद्योग मित्र)योजना–03/15* के पृष्ट–**61/टि0** पर दिनांक–**02.01.2019** को प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../
03/उ0नि0 (उद्योग मित्र)योजना–03/15
पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपि.–कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../
03/उ0नि0 (उद्योग मित्र)योजना–03/15
पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक.....110...................../
03/उ0नि0 (उद्योग मित्र)योजना–03/15
पटना दिनांक....4.1.19....................

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3(उ0नि0)/प्रशाखा–1 योजना (स0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.01.
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।